क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,

स्पेशल प्लाट न.–2, मरुधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्रथम फेस, बासनी, जोधपुर

क्रमांक / राप्रनिम / आरओजोध / एन.जी.टी. / ओ.नं. / 64 / 2020 / (सी.जेड) / 1214 से 1216 दिनांक:– 25/11/2020

माननीय रजिस्ट्रार महोदय,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी),
नई दिल्ली.।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन मूल आवेदन पत्र 64 / 2020 (सी.जेड) अध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान समिति बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 / 08 / 2020 की अनुपालना में जिला कलक्टर, जोधपुर, उपवन संरक्षक जोधपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जोधपुर द्वारा दिनांक 22–10–2020 को किया गया संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

सन्दर्भ :– अपर जिला मजिस्ट्रेट, शहर –प्रथम जोधपुर द्वारा इस कार्यालय को पत्र क्रमांक विधि / 2020 / 9516 दिनांक 24–11–2020 को इस कार्यालय में मेल द्वारा प्राप्त।

मान्यवर,

उपरोक्त विषय के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन मूल आवेदन पत्र 64 / 2020 (सी.जेड) में पारित आदेश दिनांक 17 / 08 / 2020 की अनुपालना में जिला कलक्टर, जोधपुर, उपवन संरक्षक जोधपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जोधपुर द्वारा दिनांक 22–10–2020 को किया गया संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय
विक्रम
क्षेत्रीय अधिकारी,
जोधपुर

प्रतिलिपिः–

1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, शहर –प्रथम जोधपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी (ग्रुप ईन्चार्ज) विधि शाखा, रापनिम, जयपुर को दिनांक 24–.11–2020 को श्री लोकेन्द्र सिंह कच्छवाहा से मोबाईल पर हुई वार्तानुसार उक्त मौका रिपोर्ट को इस कार्यालय द्वारा इस पत्र के साथ संलग्न कर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ई–मेल द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।

विक्रम
क्षेत्रीय अधिकारी,

Phone No. 0291-2723225 Email-rorpcb.jodhpur@gmail.com

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर जोधपुर

क्रमांकः विधि / 2020 / 9516 दिनांक :- 24/11 / 2020

प्रेषित :-

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
जोधपुर।

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ऐ.सं. 64 / 2020 (सी.जेड.) में पारित आदेश दिनांक 17.08.2020 की पालना में फर्द मौका रिपोर्ट माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ऐ.सं. 64 / 2020 (सी.जेड.) अनवान आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.08.2020 की पालना में गठित कमेटी द्वारा वादग्रस्त स्थल का स्थानीय निरीक्षण दिनांक 22.10.2020 को किया गया। जिसकी फर्द मौका रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है।

माननीय अधिकरण के उक्त आदेश द्वारा गठित कमेटी में आप सदस्य सचिव होने से फर्द मौका रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करवाये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
शहर–प्रथम जोधपुर

क्रमांकः विधि / 2020 / दिनांक :– / 11 / 2020

प्रतिलिपि श्रीमान् प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निवेदन है कि फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड की लिपिकीय त्रुटि सुधारने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करावें।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
शहर–प्रथम जोधपुर

मौका फर्द

माननीय न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दर्ज मूल प्रार्थना पत्र क्रमांक 64/2020(CZ) में पारित आदेश दिनांक 17.08.2020 की पालना में आज दिनांक 22.10.2020 को जिला कलक्टर जोधपुर, उपवन संरक्षक जोधपुर, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 885 में स्थित वन विभाग एवं जोधपुर नगर निगम की भूमियों का मौका निरीक्षण किया गया।

राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 885 में 553-16 बीघा भूमि एवं खसरा संख्या 885/1 (मूल) में से 27-03 बीघा भूमि कुल 580-19 बीघा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। वन विभाग के नाम दर्ज 27-03 बीघा भूमि के खसरा संख्या राजस्व रेकर्ड में लिपिकिय त्रुटिवंश 885/2/1 के स्थान पर 882/2/1 दर्ज है।

जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश कमांकः-प12(3)राज/आवं/नगर निगम/2015/3225 दिनांक 10.07.2015 के द्वारा खसरा संख्या 885/मि. रकबा 103.00 बीघा किस्म पहाड़ एवं खसरा संख्या 885/2मिन. रकबा 66-14 बीघा किस्म पहाड़ जोधपुर नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की गई।

खसरा संख्या 885 (885 एवं 885/1) के मौका निरीक्षण करने पर मौके पर उक्त खसरे के दक्षिण में कुछ भाग पर घनी आबादी बसी हुई है। दक्षिण-पूर्व की ओर पुराना वाटर फिल्टर हाउस स्थित है। जिसमें कुछ भाग पर नगर निगम द्वारा नव निर्मित श्मशान घाट स्थित है एवं शेष भूमि पर नगर निगम जोधपुर द्वारा फार्म हाउस कोलोनी विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 885 की शेष भूमि वन भूमि है जो वन विभाग के कब्जे में स्थित है।

खसरा संख्या 885 (गेंवा) के पूर्व दिशा के पडोस में ग्राम सूथला का खसरा संख्या 27 स्थित है जिसमें कुछ समाजों के श्मशान निर्मित है एवं उसके पश्चात् निजी काश्तकारों की भूमियां स्थित है।

खसरा संख्या 885 के संबंध में पूर्व में तहसीलदार जोधपुर द्वारा गठित राजस्व विभाग, नगर निगम जोधपुर, वन विभाग एवं भू प्रबन्ध विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 31.05.2018 को मौका जांच एवं सीमांकन कर फर्द मौका तैयार की गई थी। उक्त फर्द मौका अनुसार वन विभाग एवं नगर निगम जोधपुर की भूमियों का सीमांकन कर सीमाचिन्हों से दोनों विभागों के उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया था, जिस पर दोनों विभागो के प्रतिनिधियों द्वारा सहमति/सन्तुष्टि प्रदान की गई थी। उक्त सीमांकन/सीमाज्ञान की फर्द मौका के साथ नजरी नकशा बना कर संलग्न किया गया था। वर्तमान मौका निरीक्षण के वक्त मौका स्थिति उक्त नजरी नक्शा अनुरूप ही पायी गई। 27-03 बीघा भूमि जो लिपिकीय त्रुटि से खसरा संख्या 882/2/1 खसरे में दर्ज कर दी गई थी। उक्त भूमि रेकर्ड अनुसार 885/2 मिन के खसरे में रकबा 66. 14 बीघा नगर निगम को हस्तान्तरित भूमि में शामिल है। जिसके शुद्धिकरण हेतु वन विभाग व तहसीलदार जोधपुर आवश्यक कार्यवाही करेगे जो वन विभाग की भूमि है शेष भूमि नगर निगम को हस्तान्तरित भूमि है।

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड	उपवन संरक्षक जोधपुर।	जिला कलक्टर जोधपुर।